न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, सांभर लेक

पिठासीन अधिकारी : श्री वीरेन्द्रसिंह यादव आर0ए0एस0

वाद सं0 91/18

निर्णय दिनांकः 27.12.2018

1. छोटू पुत्र रूडा जाति जाट नि0 भींखावास तह0 फुलेरा जिला जयपुर राज0

वादी

बनाम

1. रामकुंवार पुत्र चूनाराम
2. हरफूल पुत्र चूनाराम
3. तेजाराम पुत्र चूनाराम
4. हेमसिंह पुत्र चूनाराम
5. शिवराम पुत्र चूनाराम
6. भंवरलाल पुत्र हीरा
7. भोलूराम पुत्र हीरा
8. गोपाललाल पुत्र हीरा

समस्त जाति जाट नि0 भींखावास तह0 फुलेरा जिला जयपुर राज0

9. छीतर पुत्र लालू जाति बलाई नि0 खेजवाड़ावास तह0 फुलेरा जिला जयपुर
10. एस0बी0आई0 बैंक शाखा जोबनेर जरिये शाखा प्रबन्धक
11. सेन्ट्रल कॉ आपरेटिव बैंक शाखा सांभरलेक जरिये शाखा प्रबन्धक
12. आन्ध्रा बैंक शाखा कालवाड़ जरिये शाखा प्रबन्धक जयपुर राज0
13. तहसीलदार तहसील फुलेरा मु0 सांभरलेक
14. सब रजिस्टार तह0 फुलेरा मु0 सांभरलेक

प्रतिवादीगण

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

वाद बाबत विभाजन, घोषणा व स्थायी निषेधाज्ञा

निर्णय

संक्षेप में वाकयात इस प्रकार से हैं कि वादी व प्रतिवादी सं0 1 लगा0 9 की कब्जें काश्त व खातेदारी की भूमि वाकै ग्राम भींखावास प0ह0 बस्सीनागा भू0अ0नि0क्षे0 कालख तह0 फुलेरा जिला जयुपर राज0 में स्थित है जिसमें खाता सं0 43 की आराजी खं0नं0 90 रकबा 2 बीघा 19 विस्वा जो प्रतिवादी सं0 3 की खातेदारी राजस्व रिकोर्ड जमाबन्दी संवत् 2073 से 2075 में दर्ज व अंकित है। इसी प्रकार खाता सं0 44 की आराजी खं0नं0 101 रकबा 32 बीघा 3 विस्वा जिसमें प्रतिवादी सं0 3 का 168/643 वां हिस्सा व प्रतिवादी सं0 4 का 306/643 वां हिस्सा व प्रतिवादी सं0 5 का 169/643 वां हिस्सा राजस्व रिकोर्ड जमाबन्दी संवत् 2073 से 2075 में दर्ज व अंकित है इसी प्रकार खाता सं0 65 की आराजी खं0नं0 71 रकबा 1 बीघा 8 विस्वा, खं0नं0 72 रकबा 3 बीघा 2 विस्वा, खं0नं0 73 रकबा 1 बीघा 14 विस्वा, खं0नं0 83 रकबा 6 बीघा 14 विस्वा, खं0नं0 84 रकबा 13 रकबा 17 विस्वा, खं0नं0 85 रकबा 1 बीघा 5 विस्वा, खं0नं0 86/1 रकबा 14 बीघा 16 विस्वा, खं0नं0 86/2 रकबा 1 विस्वा, खं0नं0 87 रकबा 38 बीघा 17 विस्वा कुल किता 9 कुल रकबा 81 बीघा 14 विस्वा में प्रतिवादी सं0 6 लगा0 8 के संयुक्त खातेदारी में 1/4 हिस्सा, वादी का 3/4 हिस्सा राजस्व रिकोर्ड जमाबन्दी संवत् 2073–2075 में दर्ज व अंकित है इसी प्रकार से खाता सं0 100 की आराजी खं0नं0 217/42 रकबा 16 बीघा में प्रतिवादी सं0 1 के 1/8 हिस्सा, वादी का 3/4 वां हिस्सा व प्रतिवादी सं0 9 का 1/8 हिस्सा राजस्व रिकोर्ड जमाबन्दी संवत् 2073–2075 में दर्ज व अंकित है। खाता सं0 101 की आराजी खं0नं0 82 रकबा 1 बीघा 18 विस्वा प्रतिवादी सं0 1 के नाम राजस्व रिकोर्ड जमाबन्दी संवत् 2073–2075 में दर्ज व अंकित है तथा खाता सं0 102 की आराजी खं0नं0 74/1 रकबा 36 बीघा 10 विस्वा में प्रतिवादी सं0 1 के 248/730 वां हिस्सा व प्रतिवादी सं0 5 के 137/730 वां हिस्सा, प्रतिवादी सं0 2 के 267/730 वां हिस्सा व प्रतिवादी सं0 3 के 78/730 वां हिस्सा राजस्व रिकोर्ड जमाबन्दी संवत् 2073–2075 में दर्ज व

उप खण्ड अधिकारी
सांभर लेक

Scanned by CamScanner

अंकित है इसी प्रकार खाता सं0 151 की आराजी खं0नं0 74/2 रकबा 1 विस्वा की भूमि प्रतिवादी सं0 2 के नाम से राजस्व रिकोर्ड जमाबन्दी संवत् 2073 से 2075 में दर्ज व अंकित है। खाता सं0 152 की आराजी खं0नं0 70 रकबा 1 बीघा 18 विस्वा प्रतिवादी सं0 2 के नाम से राजस्व रिकोर्ड जमाबन्दी संवत् 2073 से 2075 में दर्ज व अंकित है। वाद पत्र के मद सं0 1 में वर्णित उपरोक्त आराजीयात वादी व प्रतिवादी सं0 1 लगा0 9 की खातेदारी में दर्ज है जिसको वादी व प्रतिवादी सं0 1 लगा0 9 के पूर्वजों के समय से ही मनबट के आधार पर बंटवारा करके काबिज काश्त होकर भूमि को उपयोग उपभोग में लेकर काश्त करते आ रहे है तथा मनबट के बंटवारें के आधार पर आयी हुयी भूमियों पर वादी व प्रतिवादी सं0 1 लगा0 9 ने अपने हिस्सें में आयी भूमि को काफी उन्नत व विकसित कर रिखा है एवं अपने रहवास हेतु मकानात भी बना रखे है। वादी व प्रतिवादी सं0 1 लगा0 9 ने अपने पूर्वजों के समय से निम्न प्रकार से आराजीयात का विभाजन कर रखा है जिस पर वादी व प्रतिवादीगण निम्न प्रकार से काबिज व काश्त है। वादी व प्रतिवादी सं0 1 लगा0 9 के हिस्सें में आयी भूमिया निम्नानुसार है कि खाता सं0 43 की आराजी खं0नं0 90 रकबा 2 बीघा 19 विस्वा भूमि प्रतिवादी सं0 3 तेजाराम के 2 बीघा 18 विस्वा भूमि, शेष भूमि 1 विस्वा भूमि रातें के रूप में जिसमें वादी के 8/33 वां हिस्सा, प्रतिवादी सं0 6 लगा0 8 के 5/33 वां हिस्सा, प्रतिवादी सं0 1 के 5/33 वां हिस्सा, प्रतिवादी सं0 3 लगा0 5 के संयुक्त रूप से 12/33 वां हिस्सा, प्रतिवादी सं0 2 के 3/33 वां हिस्सें की भूमि रास्तें में हिस्से में आयी है। खाता सं0 44 के खं0नं0 101 रकबा 32 बीघा 3 विस्वा की भूमि वादी के हिस्सें में 16 बीघा 12 विस्वा व प्रतिवादी सं0 5 के हिस्सें में 15 बीघा 2 विस्वा शेष भूमि 9 विस्वा भूमि रास्तें के रूप में जिसमें वादी के 8/33 वां हिस्सा, प्रतिवादी सं0 6 लगा0 8 के 5/33 वां हिस्सा, प्रतिवादी सं0 1 के 5/33 वां हिस्सा, प्रतिवादी सं0 3 लगा0 5 के संयुक्त रूप से 12/33 वां हिस्सा, प्रतिवादी सं0 2 के 3/33 वां हिस्सें की भूमि रास्तें में हिस्सें में आयी है। खाता सं0 65 की आराजी खं0नं0 71 रकबा 1 बीघा 8 विस्वा में से प्रतिवादी सं0 6 लगा0 8 के 1 बीघा 2 के संयुक्त हिस्सें में व 6 विस्वा भूमि प्रतिवादी सं0 2 के हिस्सें में तथा खं0नं0 72 में 3 बीघा 2 विस्वा की भूमि में सें 2 बीघा 16 विस्वा भूमि प्रतिवादी सं0 2 के हिस्सें में व 6 विस्वा भूमि प्रतिवादी सं0 3 के हिस्सें में आयी है। खं0नं0 73 रकबा 1 बीघा 14 विस्वा में से 1 बीघा 14 विस्वा भूमि प्रतिवादी सं0 3 के हिस्सें में सम्पूर्ण भूमि है। खं0नं0 83 रकबा 6 बीघा 14 विस्वा में से वादी के 5 बीघा 18 विस्वा भूमि व 4 विस्वा भूमि में से 321/361 वां हिस्सा प्रतिवादी सं0 1 के व 40/361 वां प्रतिवादी सं0 9 के हिस्सें में व शेष 12 विस्वा भूमि प्रतिवादी सं0 6 लगा0 8 के संयुक्त हिस्सें में आयी है। खं0नं0 84 रकबा 13 बीघा 17 विस्वा में से वादी के 12 बीघा 10 विस्वा भूमि व शेष 1 बीघा 7 विस्वा भूमि में से 321/361 वां हिस्सा प्रतिवादी सं0 1 हिस्सें में व 40/361 वां हिस्सा प्रतिवादी सं0 9 के संयुक्त हिस्सें में आयी है। खं0नं0 85 रकबा 1 बीघा 5 विस्वा की सम्पूर्ण भूमि पर वादी काबिज काश्त है। खं0नं0 86/1 रकबा 14 बीघा 16 विस्वा भूमि में से 9 बीघा भूमि पर प्रतिवादी सं0 6 लगा0 8 संयुक्त रूप से काबिज काश्त है व 5 बीघा 11 विस्वा पर गै0मु0 चाह का सम्पूर्ण हिस्सें सहित वादी काबिज काश्त है तथा शेष 5 विस्वा भूमि जिसमें वादी के 8/33 वां हिस्सा, प्रतिवादी सं0 6 लगा0 8 के 5/33वां हिस्सा, प्रतिवादी सं0 1 के 5/33 वां हिस्सा, प्रतिवादी सं0 3 लगा0 5 के संयुक्त रूप से 12/33 वां हिस्सा, प्रतिवादी सं0 2 के 3/33 वां हिस्से की भूमि रास्तें में हिस्सें में आयी है। खं0नं0 86/2 रकबा 1 विस्वा गै0मु0 चाह सम्पूर्ण भूमि वादी के हिस्सें मे आयी है। खं0नं0 87 रकबा 38 बीघा 17 विस्वा भूमि में से 15 बीघा 14 विस्स्वा भूमि वादी के हिस्सें में, 10 विस्वा भूमि प्रतिवादी सं0 2 हिस्सें में आयी है तथा 7 बीघा भूमि प्रतिवादी सं0 3 के हिस्सें में, 15 बीघा 2 विस्वा भूमि प्रतिवादी सं0 4 के हिस्सें में व शेष 11 विस्वा भूमि जिसमें वादी के 8/33 वां हिस्सा, प्रतिवादी सं0 6 लगा0 8 के 5/33 वां हिस्सा, प्रतिवादी सं0 1 के 5/33 वां हिस्सा, प्रतिवादी सं0 3 लगा0 5 के संयुक्त रूप से 12/33 वां हिस्सा, प्रतिवादी सं0 2 के 3/33 वां हिस्सें की भूमि रास्तें में हिस्सें में आयी है। खाता सं0 100 की आराजी खं0नं0 217/42 रकबा 16 बीघा भूमि में प्रतिवादी सं0 1 321/361 वां हिस्सें की भूमि

उप खण्ड अधिकारी
साँभर लेक

Scanned by CamScanner

पर व शेष हिस्सों पर व शेष 40/361 वे हिस्सों पर प्रतिवादी सं0 9 काबिज काश्त है। खं0नं0 82 रकबा 1 बीघा 18 विस्वा में से 1 बीघा 7 विस्वा भूमि पर वादी, 10 विस्वा भूमि पर प्रतिवादी सं0 1 321/361 वां हिस्सों की भूमि पर व शेष हिस्सें पर व शेष 40/361 वें हिस्सों पर प्रतिवादी सं0 9 काबिज काश्त है व शेष 1 विस्वा भूमि जिसमें वादी के 8/33 वां हिस्सा, प्रतिवादी सं0 6 लगा0 8 के 5/33 वां हिस्सा, प्रतिवादी सं0 1 के 5/33 वां हिस्सा, प्रतिवादी सं0 3 लगा0 5 के संयुक्त रूप से 12/33 वां हिस्सा, प्रतिवादी सं0 2 के 3/33 वां हिस्सें की भूमि रास्तें में हिस्सें में आयी है। खाता सं0 102 की आराजी खं0नं0 74/1 रकबा 36 बीघा 10 विस्वा में से 14 बीघा भूमि पर वादी, 7 बीघा 10 विस्वा भूमि पर प्रतिवादी सं0 6 लगा0 8 संयुक्त रूप से, 11 बीघा 7 विस्वा भूमि पर प्रतिवादी सं0 2 काबिज काश्त है व 3 बीघा 3 विस्वा भूमि पर प्रतिवादी सं0 3 हिस्सें में तथा 6 विस्वा भूमि जिसमें वादी के 8/33 वां हिस्सा, प्रतिवादी सं0 6 लगा0 8 के 5/33 वां हिस्सा, प्रतिवादी सं0 1 के 5/33 वां हिस्सा, प्रतिवादी सं0 3 लगा0 5 के संयुक्त रूप से 12/33 वां हिस्सा, प्रतिवादी सं0 2 के 3/33 वां हिस्से की भूमि रास्तें में हिस्सें में आयी है तथा 4 विस्वा भूमि जिसमें प्रतिवादी सं0 2 1/2 हिस्सें पर तथा प्रतिवादी सं0 6 लगा0 8 के 1/2 हिस्सें पर है। खाता सं0 151 की आराजी खं0नं0 74/2 रकबा 1 विस्वा गै0मु0 वाह सम्पूर्ण प्रतिवादी सं0 6 लगा0 8 के हिस्सें में है। खाता सं0 152 की आराजी खं0नं0 70 रकबा 1 बीघा 18 विस्वा सम्पूर्ण हिस्सा प्रतिवादी सं0 6 लगा0 8 के हिस्सें में है। उपरोक्तानुसार वादी व प्रतिवादी सं0 1 लगा0 9 के मध्य पूर्वजों के समय से बंटवारा मनवट के आधार पर हो रखा है। वादी ने प्रतिवादी सं0 1 लगा0 9 को उपरोक्त पारस्परिक सहमति से हो रखे बंटवारे के अनुसार विधिक रूप से विभाजन करवाने व कब्जें काश्त के अनुसार भूमि को राजस्व रिकोर्ड में नाम दर्ज करवानें के लिए कई बार कहा परन्तु प्रतिवादी सं0 1 लगा0 9 आश्वासन देते रहे कि मौके पर बंटवारे के अनुसार काबिज काश्त है उसी अनुसार जमीन नाम करवा देगे लेकिन दिनांक 18.06.18 को जब वादी ने प्रतिवादी सं0 1 लगा0 9 को मौके पर पारस्परिक सहमति से पूर्व में हो रखे विभाजन के अनुसार जमीन नाम करवाने को कहा तो प्रतिवादी सं0 1 लगा0 9 इंकार हो गये इसलिए वादीगण को अपने अधिकारों की सुरक्षा के लिए यह वाद बाबत विभाजन व घोषणा व स्थायी निषेधाज्ञा का विरूद्व प्रतिवादीगण पेश करना आवश्यक हुआ है।

उक्त वाद पेश होने पर दावा दर्ज रजिस्टर किया गया। प्रतिवादीगण को तलब किया गया। प्रतिवादी संख्या 1 लगा0 9 की तरफ से वकील श्री श्रवण जाखड़ व कुलदीपसिंह ने वकालतनामा पेश किया तथा प्रतिवादी सं0 10 लगा0 14 बावजूद सूचना के अनुपस्थित रहने के कारण इनके विरूद्व एकतरफा कार्यवाही अमल में लायी गयी। दिनांक 08.08.18 को प्रतिवादी सं0 1 लगा0 9 की तरफ से बंटवारा हेतु सहमति प्रा0पत्र पेश किया जिसमें अंकित किया कि उपरोक्त प्रकरण में पक्षकारान की सहमति से मौके पर कब्जें काश्त अनुसार तकासमा आपसी सहमति से किया जाता है ओर नक्शें कुरेजात पक्षकारान की सहमति से उनकी उपस्थिति में विभाजन किया जाता है तो प्रतिवादीगण को कोई आपति नहीं है। नक्शें कुरेजात पक्षकारान की उपस्थिति में उनकी सहमति से मंगवाये जाते है तो प्रतिवादीगण को कोई आपति नहीं है। उक्त प्रा0पत्र शामिल पत्रावली किया गया। पक्षकारान ने उक्त वाद को सहमति से मौके पर कब्जें काश्त अनुसार प्राथमिक डिक्री किये जाने का निवेदन किया जिस पर पत्रावली का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया गया अवलोकन करने के पश्चात् वादी का वाद सहमति के आधार पर दिनांक 08.08.18 को बाई मिट्स एण्ड बोन्डस व मौके पर कब्जें काश्त अनुसार प्राथमिक डिक्री किया गया। इस प्राथमिक डिक्री आदेश की पालना में तहसीलदार फुलेरा को पत्र क्रंमाक 1185 दिनांक 31.08.18 को लिखा गया था। जिस पर तहसीलदार फुलेरा ने अपने पत्र क्रंमाक भू0अ0/18/5043 दिनांक 31.10.18 को नक्शें कुरेजात तैयार कर न्यायालय में दिनांक 20.11.18 को पेश किये जो उसी दिवस पत्रावली मे शामिल की किये गयें।

वकील पक्षकारान की ओर से नक्शें कुरेजात पर कोई आपति व्यक्त न करते हुए मुताबिक नक्शें कुरेजात वाद अन्तिम डिक्री किये जाने का निवेदन किया है पत्रावली एंव नक्शें कुरेजात का अवलोकन किया गया तथा बहस पर मनन किया

उप खण्ड अधिकारी
साँभर लेक

Scanned by CamScanner

गया। मनन् उपरान्त यह न्यायालय वादी का वाद मुताबिक नक्शें कुरेजात अन्तिम डिक्री किया जाना न्यायोचित समझता है। इसी अनुसार वाद अन्तिम डिक्री किया जाता है।

क्रियात्मक आदेश

अतः वादी का वाद किमाजन मुताबिक नक्शे कुरेजात अन्तिम डिक्री किया जाता है कि वाकै ग्राम भौंखावास प0ह0 बरसीनागा भू0अ0नि0क्षे0 कालख तह0 फुलेरा जिला जयपुर राज0 के आराजी खं0नं0 74/3 रकबा 14 बीघा, खं0नं0 82/2 रकबा 1 बीघा 7 विस्वा, खं0नं0 84/1 रकबा 12 बीघा 10 विस्वा, खं0नं0 85 रकबा 1 बीघा 5 विस्वा, खं0नं0 86/2 रकबा 1 विस्वा, खं0नं0 86/5 रकबा 1 बीघा 10 विस्वा, खं0नं0 86/4 रकबा 4 बीघा 1 विस्वा, खं0नं0 83/1 रकबा 5 बीघा 18 विस्वा, खं0नं0 87/5 रकबा 15 बीघा 14 विस्वा, खं0नं0 101/3 रकबा 16 बीघा 12 विस्वा किता 10 कुल रकबा 72 बीघा 18 विस्वा का छोटू पुत्र रूडा कौम जाट सा0देह0 को तथा खं0नं0 101/1 रकबा 15 बीघा 2 विस्वा का शिवराम पुत्र चुनाराम कौम जाट सा0देह0 को तथा खं0नं0 71/2 रकबा 6 विस्वा, खं0नं0 72/1 रकबा 2 बीघा 16 विस्वा, खं0नं0 74/5 रकबा 11 बीघा 7 विस्वा, खं0नं0 87/1 रकबा 10 विस्वा कुल किता 4 कुल रकबा 14 बीघा 19 विस्वा का हरफूल पुत्र चुनाराम हि0 173/299 राहिन आंध्रा बैंक शाखा कालवाड़ जयपुर मुर्तहीन हरफूल पुत्र चुनाराम हि0 126/299 कौम जाट सा0देह0 को तथा ख0 नं0 70 रकबा 1 बीघा 18 विस्वा, खं0नं0 71/1 रकबा 1 बीघा 2 विस्वा, खं0नं0 74/1 रकबा 7 बीघा 10 विस्वा, खं0नं0 74/2 रकबा 1 विस्वा, खं0नं0 83/3 रकबा 12 विस्वा, खं0नं0 86/1 रकबा 9 बीघा कुल किता 6 कुल रकबा 20 बीघा 3 विस्वा का भंवरलाल, भोलूराम, गोपाललाल पुत्र हीरा कौम जाट सा0देह0 राहिन एस0बी0आई0 शाखा जोबनेर मुर्तहीन को तथा खं0नं0 72/2 रकबा 6 विस्वा, खं0नं0 73 रकबा 1 बीघा 14 विस्वा, खं0न0 74/6 रकबा 3 बीघा 3 विस्वा, खं0नं0 87/2 रकबा 7 बीघा, खं0नं0 90/1 रकबा 2 बीघा 18 विस्वा कुल किता 5 कुल रकबा 15 बीघा 1 विस्वा का तेजाराम पुत्र चुनाराम कौम जाट सा0देह0 को तथा खं0नं0 217/42 रकबा 16 बीघा, खं0नं0 82/1 रकबा 10 विस्वा, खं0नं0 83/2 रकबा 4 विस्वा, खं0नं0 84/2 रकबा 1 बीघा 7 विस्वा कुल किता 4 कुल रकबा 18 बीघा 1 विस्वा का रामकुंवार पुत्र चुनाराम हि0 40/361 राहिन दी जयपुर सैन्ट्रल को0 बैंक शाखा सांभरलेक मुर्तहीन रामकुंवार पुत्र चुनाराम हि0 173/361 राहिन आंध्रा बैंक शाखा कालवाड़ जयपुर मुर्तहीन रामकुंवार पुत्र चुनाराम हि0 108/361 कौम जाट सा0देह0 छीतर पुत्र लालू हि0 40/361 कौम बलाई सा0देह0 को तथा खं0नं0 87/3 रकबा 15 बीघा 2 विस्वा का हेमसिंह पुत्र चुनाराम कौम जाट सा0देह राहिन एस0बी0आई0 शाखा जोबनेर मुर्तहीन को तथा खं0नं0 90/2 रकबा 1 विस्वा, खं0नं0 101/2 रकबा 9 विस्वा, खं0नं0 87/4 रकबा 11 विस्वा, खं0नं0 86/3 रकबा 5 विस्वा, खं0नं0 74/7 रकबा 6 विस्वा, खं0नं0 82/3 रकबा 1 विस्वा किता 6 कुल रकबा 1 बीघा 13 विस्वा का छोटू पि0 रूडा हि0 8/33 भंवरलाल, भोलूराम, गोपाललाल पि0 हीरा हि0 5/33 रामकुंवार पि0 चुनाराम हि0 5/33 तेजाराम, हेमसिंह, शिवराम पि0 चुनाराम हि0 12/33 हरफूल पुत्र चुनाराम हि0 3/33 कौम जाट सा0देह0 को तथा खं0नं0 74/4 रकबा 4 विस्वा का हरफूल पि0 चुनाराम हि0 1/2 भंवरलाल, भोलूराम, गोपाललाल पि0 हीरा हि0 1/2 कौम जाट सा0देह0 को खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है। डिक्री पर्चा तैयार कर शामिल पत्रावली किया जावें। उपरोक्तानुसार राजस्व रिकोर्ड में अमल दरामद हेतु तहसीलदार फुलेरा को लिखा जावें।

निर्णय आज दिनांक 27.12.2018 को खुले न्यायालय मे टंकण कराया जाकर सुनाया गया।

उपखण्ड अधिकारी
सांभर लेक

Scanned by CamScanner